विल

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

प्र क्र विविध 9079-PBR/17 (30)

1– सिद्धु पिता दुला, जाति बागरी,
आयु–75 वर्ष, धंधा खेती,
2– मांगीलाल पिता दुला, जाति बागरी
आयु–70 वर्ष, धंधा खेती,
3– वरदीराम पिता दुला, जाति बागरी
आयु–60 वर्ष, धंधा खेती,
4– मदन पिता पिता दुला, जाति बागरी
आयु–50 वर्ष, धंधा खेती,
5– थावर पिता पिता दुला, जाति बागरी
आयु–45 वर्ष, धंधा खेती,
सभी निवासीगण–ग्राम गुरला तह. नागदा जिला उज्जैन

—— आवेदकगण

श्री सुनील सिंह आदि अभि० द्वारा आज दि. 21.4.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21.4.17
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

विरूद्ध

1. प्रियंका मिमरोढ नायब तेहसीलदार टप्पा उन्हैल तेह नागदा जिला उज्जैन
2. पेमा पिता भुवान, जाति बागरी, निवासी–ग्राम गुरला तह. नागदा जिला उज्जैन म.प्र.

——–अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 12 अवमानना अधिनियम

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र पेश है:–

01. यह आिवेदकगण के पिता क्रेता स्व. दुलाजी पिता भैराजी जाति बागरी, निवासी–ग्राम गुरला तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के द्वारा विक्रेता पर्वतसिंह व हरिसिंह, पिसरान पिता देवीसिंह राजपुत, निवासी–ग्राम गुरला पूर्व तहसील खाचरौद से उनके स्वामित्व वे आधिपत्य की कृषि भूमि खाता क्रमांक 121 रकबा 22 ।। 2 बीघा लगानी 27–20 रूपयें का भूमि स्वामी स्वत्व से स्थित है सर्वे नं. 217/1 रकबा 3/1 में से डेढ़ बीघा तीन बिस्वा भूमि रूपयें 700/– रूपयें में दिनांक 29/01/1968 को जर्ये रजिस्ट्री क्रय की थी तथा विक्रेता से पश्चात् में उक्त सर्वे नंबर की इतनी ही भूमि दिनांक 25/05/1968 को क्रेता दुला पिता भैरा जाति बागरी, निवासी–ग्राम गुरला, तहसील खाचरौद जिला उज्जैन ने विक्रेता पर्वतसिंह व हरिसिंह, पुत्र देवीसिंह राजपुत निवासी–ग्राम गुरला, तहसील खाचरौद जिला उज्जैन से सर्वे नं. 217/1 रकबा 3। 1 में से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि 600/– रूपयें में क्रय की थी । उक्त भूमि क्रय दिनांक से ही आवेदक के पिता दुलाजी का आधिपत्य चला आ रहा है । उक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9079–पीबीआर/2017 **जिला उज्जैन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–6–2017	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह प्रकरण न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय का स्थगन आदेश होने के उपरांत भी तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिला दिया गया है । आवेदक द्वारा उल्लिखित तथ्यों से प्रथमदृष्टया परिलक्षित होता है कि जिस दिनांक को तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया गया था उस दिनांक को स्थगन अस्तित्व में नहीं था । अतः यह न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । **अध्यक्ष**	